

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर:उ०प्र०

पत्रांक:

दिनांक:

ज्ञापन

विशय :-श्री/श्रीमती.....को अवकाश की स्वीकृति ।

इस कार्यालय के सम-संख्यक ज्ञापन दिनांक.....के क्रम में/का अधिकरण करते हुए/ आंशिक संशोधन करते हुए श्री/श्रीमती.....को निम्न अवकाश स्वीकृत किया जाता है, जो उन्हें सी.सी.एस. अवकाश नियम, 1972 के अन्तर्गत देय है।

1. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
2. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
3. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
4. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
5. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
6. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक
7. अवकाशदिन, दिनांक.....से.....तक

उन्हें अवकाश से पूर्व.....और बाद में.....जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

इस अवकाश के समाप्त होने पर श्री/श्रीमती.....द्वारा उसी पद पर कार्यभार संभालने की संभावना है/थी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....यदि अवकाश पर न जाते/जाती तो वह अपने वर्तमान पद पर कार्य कर रहे होते/होती। केवल व्यक्तिगत आधार पर असाधारण अवकाश को छोड़कर भोश अवकाश नियम एफ.आर. 28(बी) के अन्तर्गत वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिए मान्य है।

इन्होंने दिनांक.....को पुनः कार्यभार संभाला।

भोश अर्जित अवकाशजून/दिसम्बर तक।

भोश अर्द्धवेतन अवकाशजून/दिसम्बर तक।

कृते निदेशक

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

द्वारा

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, भा० प० चि० अ० सं०, इज्जतनगर।
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अनुभाग प्रथम/द्वितीय/तृतीय, भा० प० चि० अ० सं०, इज्जतनगर।
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग प्रथम,/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, भा० प० चि० अ० सं०, इज्जतनगर।